



अपील प्राधिकारी-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-के अंतर्गत
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एस.सी.ओ. 5-10, सेक्टर -16ए फरीदाबाद, पिन:121002

ऑन लाइन अपील पत्र पंजीकरण संख्या : PGCIL/A/E/20/00054
दिनांक:16.11.2020

संदर्भ सं0: ई.डी./सचिवालय/आर. टी. आई./1903

दिनांक: 12.01.2021

लोक प्राधिकारी का नाम : पावरग्रिड उ. क्षे-1 मुख्यालय फरीदाबाद -121002

आदेश

ऑन लाइन आर. टी. आई प्रार्थना पत्र पंजीकरण संख्या PGCIL/R/E/20/00370 दिनांक 23.09.2020 के माध्यम से श्री अशोक कुमार, फ्लैट संख्या-A-33, फर्स्ट फ्लोर, पार्सवनाथ सिटी फैज़ाबाद रोड, तिवारीगंज, लखनऊ, पिन कोड - 226028 फ़ोन-8299500936 ने सी.पी.आई.ओ. उ.क्षे.1 फरीदाबाद से आर. टी. आई. अधिनियम -2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी थी। सी.पी.आई.ओ. उ.क्षे.1 ने अपने पत्र सं.पावरग्रिड / उ. क्षे.1/आर. टी.आई./1903/1573 दिनांक 04.11.2020 के द्वारा मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-के नियमानुसार प्रदान किया।

अब श्री अशोक कुमार ने प्रथम ऑन लाइन अपील पत्र पंजीकरण संख्या PGCIL/A/E/20/00054 दिनांक 16.11.2020 के तहत प्रथम अपील अधिकारी को अपील की है। अपीलकर्ता ने मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिये प्रार्थना कि है क्योंकि अपीलकर्ता के अनुसार सी पी.आई. ओ, उ.क्षे.1 के द्वारा प्रदान की गई जानकारी तर्कसंगत नहीं है एवं संतुष्ट नहीं है।

श्री अशोक कुमार के उप्रोक्त आर. टी. आई प्रार्थना पत्र, अपील पत्र एव. सी. पी. आई ओ. के पत्र दिनांक 04.11.2020 का अध्ययन करने के उपरांत सी. पी. आई. ओ उ. क्षे.1 को पुनरविचार के लिए निर्देशित किया। इसी संदर्भ में सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड उ. क्षे.1 ने अपने पत्र दिनांक 12.01.2021 के द्वारा बिंदु न.1 एवं 13 कि जानकारी पुनः दी है। इसलिए सी. पी. आई.ओ पावरग्रिड उ. क्षे.1 के पत्र दिनांक 04.11.2020 एवं 12.01.2021 के माध्यम से दी जा चुकी है और अपील को बंद किया जाता है।

[डी. के. सिंह]

कार्यपालक निदेशक, उ.क्षे .I एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

ई-मेल:dk Singh@powergridindia.com , फोन न. 0129-2666301

प्रतिलिपि :

1. श्री अशोक कुमार, फ्लैट संख्या-A-33, फर्स्ट फ्लोर, पार्सवनाथ सिटी फैज़ाबाद रोड, तिवारीगंज, लखनऊ, पिन कोड - 226028 फ़ोन-8299500936 : आपके अपील दिनांक 16.11.2020 के संदर्भ में ।
2. श्री आदर्श श्रीवास्तव, वरि. महाप्रबंधक(पी .ई .एस .एम) एवं अधिकृत सी पी आई ओ, उ.क्षे.I: सूचना एवं रिकार्ड हेतु ।
3. महाप्रबंधक (सतर्कता) उ. क्षे.1: सूचनार्थ ।